विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यालय)

लखनऊ दिनांक 23 मई,2023

प्रेषक,

मोहम्मद मुशाहिद, रिटर्निंग आफिसर एवं विशेष सचिव। सेवा में,

माननीय सदस्यगण

विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

विषय: श्री लक्ष्मण प्रसाद ''आचार्य' सदस्य विधान परिषद द्वारा त्याग पत्र देने के फलस्वरूप हुई रिक्ति की पूर्ति हेतु उप-निर्वाचन-2023

महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा श्री लक्ष्मण प्रसाद ''आचार्य' सदस्य, विधान परिषद द्वारा त्याग पत्र देने के फलस्वरूप हुई रिक्ति की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विधान परिषद का उप-निर्वाचन होना है।

अतः निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 के नियम-69 के अन्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि इस निर्वाचन से संबंधित मतदान सोमवार दिनांक 29 मई,2023 को तिलक हाल (मतदान स्थल-"अ") विधान भवन, लखनऊ में 9.00 बजे पूर्वान्ह से प्रारम्भ हो कर 4.00 बजे अपरान्ह तक होगा।

उक्त निर्वाचन में मतदान के अवसर पर मतों की रिकार्डिंग के लिए अनुदेश की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति आपकी सूचनार्थ संलग्न है। संलग्नक-यथोक्त ।

रिटर्निंग आफिसर एवं विशेष सचिव।

संख्या- (1)/वि०स०/प०का०/०3(प)/2023 तद्दिनांक । प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

> (मोहम्मद मुशाहिद) रिटर्निंग आफिसर एवं विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के उप-निर्वाचन पर मतों की रिकार्डिंग के लिये अनुदेश

क- मतदान का तरीका :-

- 1. मतदान के प्रयोजन के लिये रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिये गये बैंगनी स्कैच पेन का केवल प्रयोग कीजिये जो कि आपको मतपत्र के साथ दिया जायेगा। किसी अन्य पेन, पेन्सिल, बॉल पाइन्ट पेन या किसी अन्य मार्किंग यंत्र का प्रयोग न करें, क्योंकि उससे आपका मतपत्र अमान्य हो जायेगा।
- 2. उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे आप अपनी पहली वरीयता देकर चुनना चाहते हैं, किये गये "वरीयता का क्रम" चिन्हित स्तम्भ में "।" अंक रखते हुये मत दें। यह "।" अंक केवल एक उम्मीदवार के नाम के सामने रखा जायेगा।
- 3. यद्यपि निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो भी ''। ''अंक केवल एक उम्मीदवार के नाम के सामने रखा जायेगा।
- 4. आपको निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर विचार किये बिना जितने निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार है, उतनी वरीयता है। उदाहरणार्थ यदि पांच लड़ने वाले उम्मीदवार है, केवल दो का निर्वाचन होना है आप अपनी पसन्द के अनुसार अपनी वरीयता के क्रम में उम्मीदवारों के सामने 1 से 5 तक वरीयता चिन्हित कर सकते हैं।
- 5. बाकी उम्मीदवारों के लिये आप अपनी वरीयता ऐसे उम्मीदवारों के नामों के सामने दिये गये ''वरीयता के क्रम'' चिन्हित स्तम्भ में अपनी वरीयता के क्रम में अनुवर्ती अंक 2, 3, 4 आदि लिखकर दर्शायें।
- 6. यह सुनिश्चित करें कि आप किसी उम्मीदवार के नाम के सामने एक अंक ही लिखें। यह भी सुनिश्चित करें कि वहीं अंक एक से अधिक उम्मीदवारों के नामों के सामने न लिखा जाये।
- 7. वरीयता केवल अंक अर्थात् 1, 2, 3 आदि में दर्शायी जाये एक, दो, तीन आदि में न दर्शायी जाये।
- 8. अंकों को भारतीय अंकों जैसे 1, 2, 3 आदि या रोमन रूप में 1, 11, 111 आदि का देवनागरी रूप 1, 2, 3 या संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिन्हित किये जा सकते हैं।
- 9. मत पत्र पर अपना नाम या कोई शब्द न लिखे या अपने हस्ताक्षर या आद्याक्षर न लिखे अपने अंगूठे की छाप भी न लगाये। इससे आपका मत-पत्र अमान्य हो जायेगा।
- 10. अपनी वरीयता दर्शाने के लिये अपनी पसंद के उम्मीदवारों के सामने "√" या "⊁" जैसे चिन्ह लगाना काफी नहीं है। ऐसे मत-पत्र खारिज कर दिये जायेंगे। अपनी वरीयता जैसा ऊपर बताया गया है केवल "1", "2", "3" आदि अंकों द्वारा दर्शायें।
- 11. अपना मत-पत्र मान्य करने के लिये यह आवश्यक है कि एक उम्मीदवार के सामने ''1'' अंक लिखते हुये अपनी पहली वरीयता दर्शायें। अन्य वरीयतायें वैकल्पित हैं अर्थात दूसरी अनुवर्ती वरीयतायें आप दर्शायें या न दर्शायें।

ख- अमान्य मतपत्र :-

वह मतपत्र अमान्य होगा, जिस पर -

- 1. अंक "1" चिन्हित नहीं किया गया है:
- 2. एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने "1" अंक रखा गया है;
- 3. अंक "1" इस प्रकार रखा गया हो, जिससे यह भ्रम हो कि यह किस अभ्यर्थी को देने के इच्छुक हैं;
- 4. एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंक "1" और कोई अन्य अंक 2, 3 आदि भी लगाये गये हों;
- 5. वरीयतायें अंकों के स्थान पर अक्षरों में दर्शायी गयी हों;
- 6. वहां कोई चिन्ह या कुछ लिखा हुआ हो जिसके द्वारा निर्वाचक की पहचान हो सके; और
- 7. उसमें बैंगनी स्केच पेन, जिसकी पूर्ति ऐसे आंकड़े चिन्हित कराने के प्रयोजन के लिये रिटर्निंग आफिसर द्वारा की गयी है, के अतिरिक्त अन्य किसी से चिन्हित किये गये कोई अंक।

INSTRUCTIONS FOR RECORDING OF VOTES AT BYE-ELECTION TO THE LEGISLATIVE COUNCIL OF UTTAR PRADESH

A. METHOD OF VOTING:-

- 1. For the purpose of voting use only the violet sketch pen supplied by the Returning Officer, which will be handed over to you along with the ballot paper. Do not use any other pen, pencil, point ball pen or any other marking instrument as that will invalidate your ballot paper.
- 2. Vote by placing the figure "I" in the column marked "order of preference" provided opposite the name of the candidate whom you choose as your first preference. This figure "I" shall be placed opposite the name of only one candidate.
- 3. Even if the number of candidates to be elected is more than one the figure (1) shall be put opposite the name of only one candidate.
- 4. You have as many preferences as there or contesting candidates irrespective of the number of candidates to be elected. For example if there are five contesting candidates and only two are to be elected you can mark preferences from 1 to 5 against the candidates of your choice in order of your preference.
- 5. Indicate Your further preference for the remaining candidates by placing in the column marked order of preference provided opposite the names of such candidates the subsequent figures 2, 3, 4 etc. in the order of your preference.
- 6. Make sure that you put only one figure opposite the name of any candidate and also make sure that the same figure is not put opposite the names of more than one candidate
- 7. Prefrences shall be indicated in figures only i.e. 1, 2, 3. etc. and shall not be indicated in word one, two, three etc.
- 8. Figures may be marked in the international form of Indian numerals like 1. 2. 3 etc. or in the Roman form I, II, III etc. or in Devnagari form 1, 2, 3 or in the form used in any Indian Language recognised in Schedule VIII of the Constitution.
- 9. Do not write your name or write any words or put your signature or initials on the ballot paper. Also do not put your thumb impression these will make your ballot paper invalid.
- 10. It is not sufficient to put a mark " or "*" against the candidates of your choice to indicate your preferences. Such ballot papers will be rejected. Indicate your preferences only in figures "1", "2". "3" etc. as explained above.
- 11. To make your ballot paper valid, it is necessary that you should indicate your first preference by placing figure 'I' against one of the candidates. The other preferences are optional i.e. you may not indicate the second and subsequent preference.

B. INVALID BALLOT PAPERS:

A-ballot paper shall be invalid on which-

- 1. the figure 'I' is not marked;
- 2. the figure 'I' is set opposite the name of more than one candidate;
- 3. the figure I is so placed as to render it doubtfull to which candidate it is intended to apply;
- 4. the figure 'I' and some other figures like 2, 3 etc. are also set opposite the name of the same candidate;
- 5. the preferences are indicated in words instead of in figures;
- 6. there is any mark or writing by which the elector can be identified; and
- 7. there is any figure marked otherwise than with the violet sketch pen supplied by the Returning Officer for the purpose of marking such figures.